संख्याः–247/XXVII–1/2010

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 03 अप्रैल, 2010

विषयः– नाबार्ड द्वारा वर्ष 2000–01 में स्वीकृत एल0टी0ओ0 ऋण की वर्ष 2010–11 में देय सातवी किश्त का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड द्वारा वर्ष 2000–01 में एल0टी0ओ0 के रूप में स्वीकृत ऋण की वर्ष 2010–11 में देय सातवी किश्त के भुगतान हेतु रू0 1,53,600.00 (रू0 एक लाख तिरेपन हजार छः सौ मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने तथा आहरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त व्यय शासन के सुसंगत आदेश/निर्देशों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों में किया जाय, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है, यदि उसका उपयोग किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी उसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4– उक्त धनराशि का आहरण नाबार्ड/निबन्धक सहकारिता से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार समयान्तर्गत चैक के माध्यम से किया जायेगा।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को उपलब्ध करायी जायेगी। निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड उक्त धनराशियॉ नाबार्ड को समयान्तर्गत उपलब्ध करायेंगे।

उक्त व्यय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–आयोजनेत्तर–भारित–00–105–नाबार्ड से कर्ज–03–नाबार्ड को ऋण वापसी–00–30–निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्याः–247 / XXVII–1 / 2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. कोषाधिकारी, इरला चैक (सचिवालय परिसर), देहरादून।
5. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
6. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।